सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में सामुदायिक जानकारी

सारांश

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु से सम्बन्धित विक्टोरिया का कानून किसी ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा प्रिस्काइब की गई दवा का सेवन करने की अनुमति देता है जो अग्रिम रोग (एक ऐसा रोग जिससे व्यक्ति के बचने की संभावना बहुत कम हो) के अंतिम चरणों में हो और उस दवा का सेवन करने से उस व्यक्ति द्वारा चयन किए गए समय पर उसकी मृत्यु होनी निश्चित हो।
कानून के अधीन, केवल निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले लोग ही सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए पात्र होंगे:

- वे किसी ऐसे अग्रिम रोग से ग्रस्त हैं जिससे छ: महीनों (मोटर न्यूरोन रोग जैसे न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों के लिए 12 महीनों) में मृत्यु होने की संभावना हो और जिससे उस व्यक्ति को अस्वीकार्य पीड़ा हो रही हो
- वे सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में फैसला लेने और अपने डॉक्टर को इसे बताने में सक्षम हों
- वे 18 साल या इससे अधिक आयु के वयस्क हों
- वे कम से कम 12 महीनों से विक्टोरिया में रह रहे हों
- वे ऑस्ट्रेलिया के नागरिक या परमानेंट रेज़ीडेन्ट हों।

यह कानून सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए दवाई का निवेदन करने और इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की मांग करने वाले व्यक्ति को अपने डॉक्टर को तीन अलग-अलग निवेदन करने चाहिए (इसमें एक निवेदन लिखित तौर पर होना चाहिए)। यह भी ज़रूरी है कि दो डॉक्टर इस बात से सहमत हों कि वह व्यक्ति सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की शर्तों को पूरा करता है।

इस कानून के कई सुरक्षा-उपाय हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह व्यक्ति का अपना फैसला है और किसी भी व्यक्ति पर सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए निवेदन करने का दबाव नहीं डाला जाता है।

प्रस्तावना

जीवन के अंत से जुड़े मुद्दे कई लोगों के लिए तनावपूर्ण और कठिन हो सकते हैं। मृत्यु और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं के तथा इस बारे में समुदाय के विचार भिन्न-भिन्न हैं कि उन लोगों के अनुभव को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है जो अपने जीवन के अंत के समीप हों। इन कारणों के लिए, एक संसदीय समिति ने प्रशामक देखभाल, अग्रिम देखभाल नियोजन (एडवांस्ड केयर प्लेनिंग) और सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु से सम्बन्धित मामलों पर सोच-विचार किया। समुदाय के लोगों तथा साथ ही चिकित्सीय निकायों, उपभोक्ता एवं देखभालकर्ता समूहों, विकलाँगता पक्षसमर्थन समूहों, कानूनी संस्थाओं, मानसिक स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य प्रबंधकों के साथ बहुत परामर्श किया गया था। समिति ने यह सुझाव दिया कि सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु को एक कानून बनाया जाना चाहिए। इसके पश्चात बिल को संसद में लाए जाने से पहले एक विशेषज्ञ पैनल ने इस बात पर सलाह-मशवरा किया कि कानून कैसा होना चाहिए। इस समय के दौरान, कई लोगों ने कहा कि उन्हें जीवन के अंतिम समय में वास्तविक विकल्पों की ज़रूरत है। वे अपने लिए ज़रूरी उपचार और देखभाल से सम्बन्धित फैसले लेना चाहते थे। वे यह फैसला भी लेना चाहते थे कि वे किस स्थान पर मृत्यु प्राप्त करेंगे। कुछ लोग अपनी मृत्यु के समय और तरीके से सम्बन्धित फैसला भी लेना चाहते थे।

2017 में, विक्टोरिया में सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए अनुमति देने हेतु एक कानून पारित किया गया। इस कानून की शुरूआत 19 जून 2019 से होगी। सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु का अर्थ है कि कोई ऐसा व्यक्ति डॉक्टर द्वारा प्रिस्काइब की गई दवा का सेवन कर सकता है जो अग्रिम रोग (एक ऐसा रोग जिससे व्यक्ति के बचने की संभावना बहुत कम हो) के अंतिम चरणों में हो और उस दवा का सेवन करने से उस व्यक्ति द्वारा चयन किए गए समय पर उसकी मृत्यु होनी निश्चित हो। केवल वे लोग ही सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की सेवा प्राप्त कर सकते हैं जो कानून में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हों और कानून में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हों।

यह ज़रूरी है कि सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की मांग करने से सम्बन्धित व्यक्ति का फैसला:

- **स्वैच्छिक होना चाहिए** (व्यक्ति का अपना खुद का फैसला)
- **लगातार किया जाना चाहिए** (व्यक्ति प्रक्रिया के दौरान सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए तीन अलग-अलग निवेदन करता है)
- **पूरी तरह सूझबूझ वाला होना चाहिए** (व्यक्ति को अपने रोग, इलाज और प्रशामक देखभाल के विकल्पों के बारे में सूझबूझ है)।

अधिकांश लोगों को यह लगेगा कि प्रशामक देखभाल और जीवन के अंतिम समय की सेवाओं से वह समर्थन मिलेगा जिनकी उनकी जीवन के अंतिम समय में ज़रूरत होती है। प्रशामक देखभाल और जीवन के अंतिम समय की सेवाएँ अग्रिम रोग से पीड़ित लोगों की जीवन-शैली को बेहतर बनाने में सहायता करती हैं। ये उन लोगों के देखभालकर्ताओं और परिवार को भी समर्थन प्रदान करती हैं।

श्रेष्ठ देखभाल के बावजूद भी, अपने जीवन के अंत के समीप पहुँचने वाले कुछ लोग ऐसे कष्ट झेलते हैं जो उनके लिए अस्वीकार्य होते हैं और हो सकता है कि वे मृत्यु पाने के लिए सहायता मांगना चाहें। यदि ऐसे लोग सभी शर्तें पूरी करते हैं, और कानून में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं, तो वे सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की दवाई का प्रयोग कर सकते हैं।

आम सवाल

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु क्या है?

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु से सम्बन्धित विक्टोरिया का कानून किसी ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा प्रिस्काइब की गई दवा का सेवन करने की अनुमति देता है जो अग्रिम रोग (एक ऐसा रोग जिससे व्यक्ति के बचने की संभावना बहुत कम हो) के अंतिम चरणों में हो और उस दवा का सेवन करने से उस व्यक्ति द्वारा चयन किए गए समय पर उसकी मृत्यु होनी निश्चित होगी। केवल वे लोग ही सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की दवाई तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं जो सभी शर्तें पूरी करते हैं और कानून में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं। सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की मांग करने से सम्बन्धित व्यक्ति का फैसला:

- **स्वैच्छिक होना चाहिए** (व्यक्ति का अपना खुद का फैसला)
- **लगातार किया जाना चाहिए** (व्यक्ति प्रक्रिया के दौरान सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए तीन अलग-अलग निवेदन करता है)
- **पूरी तरह सूझबूझ वाला होना चाहिए** (व्यक्ति को अपने रोग, इलाज और प्रशामक देखभाल के विकल्पों के बारे में सूझबूझ है)।

क्या सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु यूथेनेसिया (सुखमयमृत्यु) के समान है?

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में बात करने के लिए लोग अलग-अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, और इन शब्दों के कारण आप अलग-अलग तरीकों से प्रक्रिया के बारे में सोच-विचार कर सकते हैं। अन्य देश अपने कानूनों में अलग-अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। विक्टोरिया 'सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु' शब्द का प्रयोग करता है क्योंकि नया कानून अपने जीवन के अंतिम समय के समीप पहुँचे कुछ लोगों को इस संबंधी अपने फैसले खुद लेने की अनुमति देता है कि वे कैसे और कहाँ मृत्यु प्राप्त करना चाहते हैं। यह ज़रूरी है कि व्यक्ति स्वयं सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु का निवेदन करे और पूरी प्रक्रिया में अपने खुद के निर्णय लेने के लिए नियंत्रण में रहे और इसमें सक्षम हो। यह विक्टोरिया कानून में एक मुख्य सुरक्षा-उपाय है। यूथेनेसिया एक व्यापक शब्द है और इसके कई अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं।

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की सेवा को प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं?

कानून में यह लिखा है कि लोगों को सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की दवाई तक पहुँच तभी प्राप्त होगी यदि वे निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करते हैं:

1. यह ज़रूरी है कि वे किसी ऐसे अग्रिम रोग से पीड़ित हों जिनसे उनकी मृत्यु होगी और जिससे:
    - छः महीनों (मोटर न्यूरोन रोग जैसे न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों के लिए 12 महीनों) में मृत्यु होने की संभावना हो
    - व्यक्ति को ऐसी पीड़ा हो रही हो जो उसके लिए अस्वीकार्य हो।
2. यह ज़रूरी है कि उनके पास पूरी औपचारिक निवेदन प्रक्रिया के दौरान सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु से सम्बन्धित फैसला लेने और इसे बताने की क्षमता हो।
3. ये भी ज़रूरी है कि वे:
    - 18 साल या इससे अधिक की आयु के हों
    - कम से कम 12 महीनों से विक्टोरिया में रह रहे हों
    - ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या परमानेंट रेज़ीडेंट हों।

क्या विकलाँगता या मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की सेवा प्राप्त कर सकता है?

विकलाँगता या मानसिक रोग से पीड़ित वे लोग जो शर्तें पूरी करते हैं, उन्हें भी समुदाय में अन्य लोगों के समान सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए निवेदन करने का समान अधिकार है। परन्तु, केवल विकलाँगता या मानसिक रोग से पीड़ित होना ही उस व्यक्ति के लिए दवाई तक पहुँच प्राप्त करने का पर्याप्त कारण नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति की तरह ही, विकलाँगता या मानसिक रोग से पीड़ित लोगों को भी किसी ऐसे अग्रिम रोग से पीड़ित होने चाहिए जिससे छ: महीनों (या न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों के लिए 12 महीनों) में उनकी मृत्यु होने की संभावना हो और पूरी प्रक्रिया के दौरान उनमें सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु संबंधी फैसले लेने और इसे बताने की क्षमता होनी चाहिए।

विकलाँगता से पीड़ित लोग या जिन लोगों को बातचीत करने में कठिनाई पेश आती हो, वे दुभाषिए या अन्य सहायता का प्रयोग कर सकते हैं। “यदि किसी व्यक्ति को बातचीत करने में दुभाषिए या सहायता की ज़रूरत है तो क्या होता है?” देखें।

क्या डिमेंशिया से ग्रस्त व्यक्ति सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की दवाई का सेवन कर सकता है?

डिमेंशिया से पीड़ित होना ही किसी व्यक्ति के लिए दवाई तक पहुँच प्राप्त करने का पर्याप्त कारण नहीं है (विकलाँगता या मानसिक रोग के समान), परन्तु डिमेंशिया से ग्रस्त कोई व्यक्ति यदि सभी शर्तें पूरी करता है तो वह पात्र हो सकता है, इसमें पूरी प्रक्रिया के दौरान फैसला लेने की क्षमता की शर्त शामिल है। जब डिमेंशिया किसी व्यक्ति की सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में फैसला लेने की क्षमता को प्रभावित करता है, तो इसका यह अर्थ है कि वह मृत्यु प्राप्त करने में सहायता के लिए सभी शर्तों को पूरा नहीं करेंगे।

क्या अग्रिम देखभाल निदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की सेवा प्राप्त कर सकता है?

अग्रिम देखभाल निदेश उस परिस्थिति में लोगों के चिकित्सीय इलाज संबंधी फैसला लेने की क्षमता का मार्गदर्शन करता है जब वे अपने खुद के चिकित्सीय फैसले लेने की क्षमता खो बैठते हैं। कोई व्यक्ति अग्रिम देखभाल निदेश में सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए निवेदन नहीं कर सकता है। यह फैसला लिया गया था कि सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु का निवेदन करने वाले लोगों के लिए यह ज़रूरी होगा कि पूरी प्रक्रिया के दौरान उनमें फैसला लेने की क्षमता हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका फैसला स्वैच्छिक और सुसंगत रहता है।

व्यक्ति सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए निवेदन कैसे करता है?

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में सोच-विचार करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे पहला कदम किसी स्वास्थ्य व्यवसायी (जैसे कि जनरल प्रेक्टिशनर (GP), स्पेशलिस्ट डॉक्टर या नर्स) से इसके बारे में पूछना है। स्वास्थ्य व्यवसायी सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में केवल तभी बात कर सकता है जब उस व्यक्ति ने पहले इसके बारे में पूछा हो।

औपचारिक प्रक्रिया तब शुरू होती है जब व्यक्ति मृत्यु के लिए सहायता लेने हेतु अपने डॉक्टर को ‘पहला निवेदन’ करता है।

इसके पश्चात ज़रूरी है कि दो डॉक्टर स्वतंत्र रूप से व्यक्ति का आकलन करने के पश्चात इस बात पर सहमत हों कि वह व्यक्ति सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की शर्तों को पूरा करता है। इसके पश्चात यह ज़रूरी है कि वह व्यक्ति लिखित निवेदन पर हस्ताक्षर करे और उसे दवाई दिए जाने पहले वह एक अंतिम बार मुंह-ज़बानी तौर पर इसका निवेदन करे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति द्वारा सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की दवाई तक पहुँच प्राप्त करने का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाता है, प्रक्रिया को 10 दिन से कम अवधि में पूरा नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि उस समयावधि में व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना हो।

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की दवाई प्राप्त करने में व्यक्ति की मदद कौन कर सकता है?

केवल एक जनरल प्रेक्टिशनर (GP) या स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की मांग करने की पूरी प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की सहायता कर सकता है। अन्य स्वास्थ्य व्यवसायी, जैसे कि नर्सें और आवासीय वयोवृद्ध देखभाल कर्मचारी, जानकारी दे सकते हैं परन्तु व्यक्ति को दवाई तक पहुँच प्राप्त करने में सहायता प्रदान नहीं कर सकते हैं।

व्यक्ति सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की दवाई का सेवन कैसे करेगा?

अधिकांश लोग अपने आप निगल कर दवाई का सेवन करेंगे। यदि कोई व्यक्ति दवाई को निगल नहीं सकता है या अन्यथा शारीरिक तौर पर इसका सेवन नहीं कर सकता है, तो वह डॉक्टर को उन्हें दवाई देने के लिए कह सकता है।

क्या सभी डॉक्टरों या अन्य स्वास्थ्य व्यवसायियों के लिए सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु में भाग लेना ज़रूरी है?

नहीं, कानून, उन डॉक्टरों और नर्सों और फॉर्मासिस्ट जैसे अन्य स्वास्थ्य व्यवसायियों, की सुरक्षा करता है जो सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु में इसलिए भाग नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उनकी अंतरात्मा उन्हें ऐसा न करने के लिए कहती है। इसका यह अर्थ है कि उन्हें निम्नलिखित करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है:

- सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में जानकारी या समर्थन प्रदान करना
- सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए व्यक्ति का आकलन करना
- सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाई की सप्लाई करना या इसे देना।

क्या सभी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु में भाग लेना ज़रूरी है?

विक्टोरियाई स्वास्थ्य सेवाएँ यह फैसला कर सकती हैं कि क्या वे सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु में भाग लेंगी या नहीं। यदि स्वास्थ्य सेवाएँ भाग नहीं लेना चाहती हैं तो वे ऐसा कर सकती हैं। साथ ही, हो सकता है कि कुछ स्वास्थ्य सेवाएँ सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु सेवा प्रदान करने की स्थिति में न हों, उदाहरणत:, यदि वे पहले से ही उन लोगों को देखभाल नहीं प्रदान करती हैं जो जीवन के अंतिम समय में होते हैं। भले ही स्वास्थ्य सेवा भाग न ले रही हो, तो भी लोग उस सेवा के डॉक्टरों या स्वास्थ्य व्यवसायियों से यह पूछ सकते हैं कि सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु से सम्बन्धित जानकारी लेने के लिए वे कहाँ जा सकते हैं।

क्या किसी व्यक्ति का देखभालकर्ता, परिजन, मित्र या सहायक व्यक्ति उनकी ओर से सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए निवेदन कर सकता है?

नहीं, केवल सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की मांग करने वाला व्यक्ति ही इसके लिए निवेदन कर सकता है। यह इस बात को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण भाग है कि व्यक्ति का फैसला स्वैच्छिक है। व्यक्ति अपने देखभालकर्ता, परिजन, मित्र या सहायक व्यक्ति को अपने साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए कह सकता है। डॉक्टर के साथ मुलाकात के समय, हो सकता है कि डॉक्टर पहले केवल उस व्यक्ति से बात करना चाहे, और फिर यदि वह व्यक्ति चाहे तो बातचीत में उसके साथ आए व्यक्ति को शामिल करे।

क्या किसी व्यक्ति का चिकित्सीय इलाज से सम्बन्धित कोई निर्णयकर्ता है, तो क्या वह निर्णयकर्ता सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए निवेदन कर सकता है?

नहीं, केवल सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की मांग करने वाला व्यक्ति ही इसके लिए निवेदन कर सकता है। चिकित्सीय इलाज से सम्बन्धित निर्णयकर्ता व्यक्ति के इलाज के बारे में केवल तभी फैसला ले सकता है जब वह व्यक्ति खुद अपने लिए फैसला न ले सकता हो, उदाहरणत:, यदि वह बेहोशी की अवस्था में हो। यह ज़रूरी है कि सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु का निवेदन करने वाला व्यक्ति पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने खुद के फैसले लेने में सक्षम हो।

यदि किसी व्यक्ति को बातचीत करने में दुभाषिए या सहायता की ज़रूरत है तो क्या होता है?

वे लोग जो अंग्रेज़ी के अलावा Auslan सहित कोई अन्य भाषा बोलते हैं, वे सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए अपने निवेदन करने में मदद के लिए योग्य रूप से प्रशिक्षित दुभाषियों का प्रयोग कर सकते हैं। वे सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए डॉक्टरों द्वारा किए जाने वाले आकलन के दौरान भी दुभाषिए का प्रयोग कर सकते हैं। यदि व्यक्ति के अंग्रेज़ी को समझने की क्षमता संबंधी कोई संदेह हो, तो योग्य रूप से प्रशिक्षित दुभाषिए का प्रयोग करना ज़रूरी है।

विकलाँगता से पीड़ित लोग जिन्हें बातचीत करने में कठिनाई हो, वे सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु का निवेदन करने के लिए संचार करने के अपने पसंदीदा माध्यमों (उदाहरणत: संचार सहायक, लेखन, इशारों) का प्रयोग कर सकते हैं। वे, आवश्यकता पड़ने पर, प्रक्रिया के दौरान अपने डॉक्टरों के साथ बातचीत करने में सहायता के लिए किसी स्पीच पैथोलॉजिस्ट के लिए भी निवेदन कर सकते हैं।

दुभाषिए या स्पीच पैथोलॉजिस्ट का प्रयोग किए जाने की स्थिति में, यह ज़रूरी है कि वे स्वतंत्र हों और उन्हें किसी व्यावसायिक निकाय द्वारा स्वीकृत किया गया हो। परिवार के सदस्य दुभाषिए की भूमिका नहीं निभा सकते हैं।

जिन लोगों को लिखने में समस्या आती हैं, वे अपनी ओर से सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु का निवेदन करने वाले लिखित घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कह सकते हैं। यह ज़रूरी है कि लिखित घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के समय सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की मांग करने वाला व्यक्ति उपस्थित हो।

क्या कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु का निवेदन करने का सुझाव दे सकता है?

नहीं, किसी डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्य व्यवसायी द्वारा किसी व्यक्ति को सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की मांग करने का सुझाव देना गैर-कानूनी है। डॉक्टर सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में बात नहीं कर सकता है बशर्ते कि वह व्यक्ति पहले खुद इसके बारे में उनसे बात करे।

व्यक्ति द्वारा सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की मांग करने का फैसला ले लेने के बाद, वे कानून में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से अपने डॉक्टर के साथ काम करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान, डॉक्टर को व्यक्ति को सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु पर विचार करने संबंधी बात करने की अनुमति नहीं होती है। उन्हें उस व्यक्ति को यह भी याद दिलाना चाहिए कि यदि वे आगे चलकर अपना मन बदलते हैं तो उनके लिए सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु लेना ज़रूरी नहीं है।

क्या किसी व्यक्ति पर सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु का निवेदन करने के लिए दबाव डाला जा सकता है?

ऐसे सुदृढ़ सुरक्षा-उपाय हैं जिनसे यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु का निवेदन करने के लिए स्वयं अपना फैसला ले रहा है, और कोई अन्य व्यक्ति उसपर इसके लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं।

केवल सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु की मांग करने का फैसला लेने वाला व्यक्ति ही इसके लिए निवेदन कर सकता है। उनके देखभालकर्ता, परिजन, मित्र या सहायक व्यक्ति उनकी ओर से इसके लिए निवेदन नहीं कर सकते हैं। साथ ही, डॉक्टर किसी व्यक्ति को सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु का निवेदन करने का सुझाव नहीं दे सकता है। वे केवल तभी इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने पहले इसके लिए निवेदन कर लिया हो।

प्रक्रिया के भाग के तौर पर, यह ज़रूरी है कि दो डॉक्टर यह फैसला लें कि व्यक्ति को अपने रोग, इलाज और प्रशामक देखरेख के विकल्पों के बारे में फैसले लेने की सूझबूझ हो और वे सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में अपने फैसले खुद ले सकते हों। दोनों डॉक्टरों को यह आकलन करना चाहिए कि कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को इसका निवेदन करने के लिए विवश नहीं कर रहा है और इसके लिए उस व्यक्ति पर ज़ोर नहीं डाल रहा है। यह ज़रूरी है उन दोनों डॉक्टरों ने सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए किसी व्यक्ति का आकलन करने में प्रशिक्षण पूरा किया हो।

किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया की शुरूआत करने के बाद भी, वे दवाई का सेवन करने तक किसी भी समय अपना मन बदल सकते हैं।

क्या इस बात का खतरा है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रशामक देखभाल नहीं मिलती है तो वह सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए निवेदन करेगा?

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु प्रशामिक देखभाल सेवाओं का विकल्प नहीं है। प्रशामक देखभाल और जीवन के अंतिम समय से सम्बन्धित सेवाएँ विक्टोरिया में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु का निवेदन करने वाले अधिकांश लोगों का प्रशामक देखभाल और जीवन के अंतिम समय से सम्बन्धित सेवाओं द्वारा समर्थन किया जाएगा और यदि वे इन सेवाओं का प्रयोग पहले से नहीं कर रहे हैं तो उन्हें इस समर्थन को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

विक्टोरिया के सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के कानून का प्रबंध कौन करेगा?

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु का समीक्षा मंडल विक्टोरिया में सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु का प्रबंध करेगा। मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि कानून और संबंधित प्रक्रियाएँ समुदाय की सुरक्षा करते हुए एक दयापूर्ण परिणाम प्रदान करते हैं। यह विक्टोरिया में सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु के प्रत्येक मामले की समीक्षा करेगा और कानून में किसी परिवर्तन या सुधार के लिए सुझाव देगा। विक्टोरिया पुलिस, मृत्यु समीक्षम (कोरोनर) और ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रेक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी जैसी अन्य संस्थाएँ भी हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि कानूनों और व्यावसायिक मानकों का निरीक्षण किया जाता है।

कानून की शुरूआत 19 जून 2019 से होगी। क्या सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु का निवेदन करने पर सोच-विचार करने वाले लोगों के लिए और अधिक जानकारी उपलब्ध है?

हाँ। प्रक्रिया और उपलब्ध समर्थन सहित, सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु पर सोच-विचार करने वाले लोगों के लिए विस्तृत जानकारी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग (Department of Health and Human Services) की वेबसाइट में 'End of life care' के अंतर्गत पाई जा सकती है। *सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु – सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु पर सोच-विचार करने वाले लोगों के लिए सूचना* <https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/end-of-life-care/voluntary-assisted-dying/community-and-consumers> देखें।

मुझे जीवन के अंतिम समय से जुड़े मुद्दे बहुत तनावपूर्ण लगते हैं। मैं किससे बात कर सकता/सकती हूँ?

कुछ लोगों को अपनी मृत्यु और जीवन के अंतिम समय से जुड़ी देखभाल के बारे में सोच-विचार करने से परेशानी महसूस हो सकती है। यदि यह जानकारी पढ़ने से आपको शोक, तनाव या व्यक्तिगत संकट से सम्बन्धित समस्याएँ पेश आती हैं, तो आप GP या अन्य स्वास्थ्य व्यवसायी से इसकी चर्चा कर सकते/सकती हैं।

नीचे सूचीबद्ध सेवाएँ भी सहायता प्रदान कर सकती हैं:

- Lifeline <https://www.lifeline.org.au> (टेलीफोन: 13 11 14) दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन टेलीफोन या ऑनलाइन सहायता और सलाह प्रदान करती है।
- ऑस्ट्रेलियाई शोक एवं वियोग केन्द्र (Australian Centre for Grief and Bereavement) <https://www.grief.org.au> (टेलीफोन: 1800 642 066) व्यक्तियों, बच्चों और परिवारों के लिए राज्य-व्यापी विशेषज्ञ वियोग सेवा (सलाह एवं समर्थन समूहों सहित) प्रदान करती है।

प्रकाशन की तिथि: अप्रैल 2019